10-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 में अटल सेवा केन्द्र कोरसीना पर पेश हुई वादी स्वयं उपस्थित मजमे आम में छीतर पुत्र काना व छीतर पुत्र गंगाराम नामक व्यक्ति के बारे में जानकारी की तो मजमे आम में ग्राम नागल में छीतर पुत्र काना व छीतर पुत्र भैरू नाम के दो व्यक्ति होना बताया दोनो छीतर पुत्र काना व छीतर पुत्र भैरू उपस्थित आये जिनके कथन लेखबद्ध किये गये वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया वादी ने वाद के तथ्यो के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत कोरसीना का प्रमाण पत्र व हरजीराम, चन्दालाल, रामकरण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है छीतर पुत्र काना के नाम आवंटन आदेश जारी किया गया है उसमे छीतर के पिता काना का नाम काटकर गंगाराम लिखा गया है। आवंटन पर छीतर पुत्र काना की अगुठा निशानी की जाँच हस्तलेखन विशेषज्ञ से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		कारवाई गई है जिसपर अंकित आराजी हीतर पुत्र काना की समान ~~हो~~ होना पाया है। हीतर पुत्र गंगाराम नाम से दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाया गया है। जो हीतर पुत्र भैरु न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान दिये है उसने अपने बयानो मे आंवटन के समय जन्म नहीं होना बताया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी का आंवटन हीतर पुत्र भैरु के नाम नहीं हुआ है तथा आंवटन आदेश में वादी के पिता का नाम काना लिखा गया था जिसको काट कर गंगाराम किया गया है जबकी गाँव नांगल मे हीतर पुत्र गंगाराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं होना सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र न्यायालय मे हुये बयान तथा शपथ पत्रों से प्रमाणित है इस प्रकार वादी ने अपने वाद के तथ्यो को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किया है।
		अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि
	46.	आराजी खसरा नं. 397/456 रकबा

संख्या | दिन

आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
6 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नं. 538/397 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कित्ता 2 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम नांगल का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज वादी के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर काना दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।	
10/5/18 उपखण्ड अधिकारी [illegible]मरलेक	

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कोरसीना

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा RAS.

उनवान

छीतर ....बनाम........ छीतर

वाद बाबत ...घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा.....

मुकदमा नंबर :– 33/13

निर्णय दिनांक :– 10-5-18

वादी की ओर से लालचंद कुमावत..... की व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...10-5-18... को ....(नाम पीठासीन अधिकारी).........उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 397/456 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 538/397 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम नांगल का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व अभिलेखो में दर्ज वादी के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर खाना दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

....

....

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...10-5-18... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ...... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

Scanned by CamScanner